गैर–शैक्षिक संवर्ग के विज्ञापन संख्या–26 के पदों हेतु सामान्य निर्देश

1. रिक्तियों की संख्या पदों की उपलब्धता के आधार पर घट–बढ़ सकती है।
2. उपरोक्त समस्त पदों पर सेवा स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, जिसका प्रमाण अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
3. भारत सरकार/राज्य सरकार में कार्यरत शासकीय सेवक ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
4. सेवा स्थानान्तरण पर तैनात किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उ0 प्र0 शासन द्वारा अपने राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दरों पर देय विभिन्न भत्ते अनुमन्य होंगे।
5. चयन/स्क्रीनिंग/साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. जिस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही गतिमान है अथवा जांच में दोषी पाया गया है, आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
7. सेवा स्थानान्तरण की अवधि के दौरान किसी विभाग का संविलियन होने/रूग्ण अथवा बन्द इकाई मृत घोषित(Sick) होने पर सेवा स्थानान्तरित कार्मिक का सेवा स्थानान्तरण उसी दिन से स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके बाद उनका कोई दावा (Claim) स्वीकार्य नहीं होगा।
8. जिन आवेदकों की अधिवर्षता आयु 01.07.2019 को 05 वर्ष से कम शेष रह गई है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
9. विज्ञापित पद हेतु निर्धारित वेतन लेवल से ऊपर के वेतन लेवल में कार्यरत अभ्यर्थी हेतु पात्र नहीं होंगे।
10. यदि कार्मिक के मूल विभाग में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशे लागू नहीं हुई हैं, तो डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान का लाभ नहीं दिया जायेगा।
11. विश्वविद्यालय कार्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत यह आवश्यक है कि इच्छुक अभ्यर्थी हिन्दी व अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की उत्कृष्ट दक्षता रखते हों तथा उन्हें कम्प्यूटर का भी सम्यक ज्ञान हो।
12. विश्वविद्यालय की वेबसाईट **http://dsmru.up.nic.in** से डाउनलोड किये गये निर्धारित आवेदन–पत्र पर ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। **Online** आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, केवल **स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक** द्वारा आवेदन–पत्र स्वीकार किये जाएंगे। अधूरे तथा किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
13. विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन–पत्र किसी भी कारण से निरस्त किये जाने पर अथवा अन्य किसी कारणवश नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित/निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
14. इस विज्ञापन के सम्बन्ध में सभी सूचनाएं तथा पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा/साक्षात्कार/परिणाम आदि की समस्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://dsmru.up.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सम्बन्ध में अलग से सूचनाएँ प्रकाशित नहीं की जायेंगी। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
15. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने, अपूर्ण होने तथा आवेदन–पत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर न होने की दशा में आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होगा।
16. प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन–पत्र (संलग्नकों सहित) प्रस्तुत करना होगा तथा एक लिफाफे में एक ही आवेदन–पत्र मान्य होगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
17. आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है:–
    (क) नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वहस्ताक्षरित फोटो आवेदन–पत्र में चस्पा जाय।
    (ख) आवेदन–पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र, आयु प्रमाण–पत्र व अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न की जाएं।
    (ग) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र ।

18. आवेदन–पत्र प्रेषित करने से पूर्व लिफाफे के ऊपर पद का क्रमांक, विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित किया जाए, जिसका प्रारूप निम्नवत है :–

पद का क्रमांक .... विज्ञापन सं0 : 26 / भर्ती / 2019–20 आवेदित पद का नाम : .... [डाक टिकट] सेवा में, कुलसचिव डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मोहान रोड, लखनऊ, – 226 017 प्रेषक : .... दूरभाष नं0 / मोबाइल नं0 : .... **(अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये)**

19. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर उन्हें कोई मार्ग व्यय / भत्ता देय नहीं होगा।
20. भरे जाने वाले पदों की संख्या प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत निरन्तरता के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर पदों को आगे बढ़ाये जाने / चलते रहने की सम्भावना है।
21. अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी / विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आपकी पात्रता को सुनिश्चित नहीं करेगी। शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो समस्त अभ्यर्थियों को मान्य एवं बाध्यकारी होगा।
22. सभी प्रकार के विवादों का निपटारा सिर्फ जनपद लखनऊ न्यायालय में ही मान्य होगा।

उपरोक्त पदों के लिये विश्वविद्यालय वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आवेदन–पत्र पर ही समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांकः **30 सितम्बर, 2019** को सायं 5.00 बजे तक कुलसचिव, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ – 226 017 को प्राप्त हो जाएँ।

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ